न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 198/2016 **दायरा दिनांक : 13.10.2016**

उनवान

आशाराम आयु 14 वर्ष पुत्र शंकरलाल, जाति कुम्हार नाबालिग जर्येवली माता भारत बाई पत्नी शंकरलाल, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— पूरा आत्मज नाथू, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— भग्गा आत्मज नाथू, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— शंकर पुत्र पूरा, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— ईश्वर लाल पुत्र शंकरलाल, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5— विमला बाई पुत्री शंकर, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 50/2017 **दायरा दिनांक : 11.04.2017**

उनवान

आशाराम आयु 14 वर्ष पुत्र शंकरलाल, जाति कुम्हार नाबालिग जर्येवली माता भारत बाई पत्नी शंकरलाल, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— पूरा आत्मज नाथू, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— भग्गा आत्मज नाथू, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— शंकर पुत्र पूरा, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— ईश्वर लाल पुत्र शंकरलाल, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5— विमला बाई पुत्री शंकर, जाति कुम्हार, निवासी तिसाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.02.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या — 209/दावा/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.09.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 198/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सहमति बिना ही राजस्व लोक अदालत कैम्प तिसाई में दिनांक 24.06.2016 को प्रकरण का निस्तारण कर मुताबिक राजीनामा खातेदार पूरा के 1/2 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी 3, 4, 5 को सहखातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.06.2016 से स्पष्ट है कि आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है । अपीलांट की माता के भी हस्ताक्षर नहीं है । राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री करने के लिये या सहमति के आधार पर वाद डिक्री करने के लिये सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अपीलांट वादी की सहमति न होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5 को पूरा के हिस्से पर सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया और न ही पक्षकारान की साक्ष्य ली कानूनी प्रावधानों के विपरीत राजीनामा सहमति के आधार पर वाद डिक्री करने का कोई प्रावधान नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की तारीफ में नहीं आता है निर्णय में किसी राजस्व रेकार्ड या साक्ष्य का कोई हवाला नहीं दिया गया है, इससे स्पष्ट है कि निर्णय राजस्व रेकार्ड एवं बिना साक्ष्य के दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण अनदेखी की है एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5 को पूरा के साथ सहखातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 निरस्त की जावे एवं प्रकरण विधिवत सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 50/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने के केवल मात्र बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी, अपीलांट को सुनवायी एवं आपत्तियां पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जो अवैधानिक है । मौके पर वक्त पेपर पार्टीशन अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं दी गई केवल प्रतिपक्षीगण के अनुसार मौके पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने उसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो बंटवारे के नियमों की सर्वथा अनुदेखी की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में बंटवारे के नियम 18 से 21 की ओर कोई उचित गौर नहीं किया । अपीलांट वादी के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री जारी करने के बारे में कोई सहमति नहीं दी । अंतिम डिक्री बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है, बंटवारा पत्र इन नियमों की अवहेलना कर बनाया गया जिसके आधार पर फाईनल डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । बंटवारे में अच्छी किस्म की आराजी प्रतिपक्षीगण को दी है एवं अपीलांट को हल्की किस्म की आराजी दी है एवं तहसीलदार गंगधार ने अंतिम डिक्री दिनांक 08.09.2016 की पालना में मामले में दिनांक 09.09.2016 को नायब तहसीलदार, डग को पत्र लिखा उसमें यह उल्लेखित किया है कि पालना रिपोर्ट तत्काल आज ही भिजवायी जावे, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के मामले में नियमों की सर्वथा अनदेखी की गई है कानूनन बंटवारे की डिक्री में कब्जा 15 अप्रैल से 30 जून के बीच में ही दिया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.09.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.03.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 98/2016 एवं 50/2017 अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.09.2016 यथावत रखे .जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा